भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या ए-60011/23/2005 (पी.आर.सी.)/1446 (सू.अ.) **दिनांक : 23 अप्रैल, 2010**

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उ.क्षे./द.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./उ.प.क्षे.
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक (आर.सी.डी.यू.)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

निदेशक, विमानपत्तन,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई/तिरुवनंतपुरम

महाप्रबंधक (सी.आर.एस.डी.)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
सी.ए.टी.सी.
इलाहाबाद

महाप्रबंधक
ई व एम कर्मशाला
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक (एफ.आई.यू.)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक
नियमार
नई दिल्ली

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/अपीलों की क्रियाविधि की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की गई है और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों/अपीलों का शीघ्र और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.ज.सू.अ.)/जन सूचना अधिकारी (ज.सू.अ.)

(क) मुख्यालय के सभी महाप्रबंधक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.ज.सू.अ.) के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) सी.आर.एस.डी., आर.सी.डी.यू., एफ.आई.यू., ई व एम कर्मशाला, नियमार और सी.ए.टी.सी., इलाहाबाद के कार्यालयों में तैनात वरिष्ठतम महाप्रबंधक, जिसके न होने पर संयुक्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, संबंधित कार्यालय के संबंध में जन सूचना अधिकारी (ज.सू.अ.) के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) इसी प्रकार, सभी निदेशक, विमानपत्तन (चेन्नई और कोलकाता को छोड़कर) अपने-अपने हवाई अड्डों के संबंध में जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों और निदेशक, विमानपत्तन, कोलकाता और चेन्नई के कार्यालयों में तैनात वरिष्ठतम महाप्रबंधक, जिसके न होने पर संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, संबंधित क्षेत्र/हवाई अड्डे के संबंध में जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

अपीलीय प्राधिकारी

(घ) मुख्यालय के कार्यपालक निदेशक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(ङ) सी.आर.एस.डी., आर.सी.डी.यू., एफ.आई.यू., ई व एम कर्मशाला, नियमार और सी.ए.टी.सी., इलाहाबाद के कार्यपालक निदेशक/प्राचार्य भी अपने-अपने कार्यालयों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

(च) संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक न केवल अपने-अपने कार्यालयों के संबंध में, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों (चेन्नई और कोलकाता के अलावा) के संबंध में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलीय

प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। कोलकाता और चेन्नई के निदेशक, विमानपत्तन भी अपने-अपने कार्यालयों के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

वैकल्पिक प्राधिकारी

(छ) चूँकि सूचना अधिकार का कार्य भी व्यक्ति के कर्तव्यों/ज़िम्मेदारियों का एक हिस्सा है, इसलिए किसी भी कारण से नामित के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. /अपीलीय प्राधिकारी की अनुपस्थिति में, उनका कार्यभार संभालने वाला अधिकारी, नामित के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. /अपीलीय प्राधिकारी के कार्यभार संभालने तक, उन सूचना अधिकार संबंधी मामलों के संबंध में स्वतः ही के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. /अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

नोडल अधिकारी

(ज) चेन्नई और कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और निदेशक, विमानपत्तन, भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के लिए **नोडल अधिकारी** होंगे। संबंधित नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र/हवाई अड्डों में विभिन्न ज.सू.अ. के समन्वय कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना अधिकार संबंधी आवेदन या किसी भी मुद्दे से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा भी संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, सी.आर.एस.डी., आर.सी.डी.यू., एफ.आई.यू., ई व एम कर्मशाला, नियमार और सी.ए.टी.सी., इलाहाबाद के संबंध में भी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

केंद्रीय नोडल अधिकारी

(झ) निगमित मुख्यालय में, कार्यपालक निदेशक (सी.ए. एवं सी.एस.) **केंद्रीय नोडल अधिकारी** होंगे। वे निगमित मुख्यालय में विभिन्न के.ज.सू.अ./अपीलीय प्राधिकारियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न नोडल अधिकारियों के समन्वय कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। आवेदन के किसी भी मद या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अन्य विषयों से संबंधित मुख्यालय में उत्पन्न होने वाले विवाद का निपटारा निगमित मुख्यालय में केंद्रीय नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

सामान्य

(ञ) सभी नोडल अधिकारी, केंद्रीय नोडल अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें विभिन्न वित्तीय वर्षों में संसाधित आवेदनों की संख्या, संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों और ज.सू.अ. द्वारा समन्वय प्रभारी में लंबित द्वितीय अपील मामलों, यदि कोई हो, में निपटाए गए आवेदनों की संख्या का उल्लेख होगा। केंद्रीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्यपालक निदेशक (सी.ए. व सी.एस.) निगमित मुख्यालय के साथ नोडल अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं को समेकित करेंगे और उचित उपयोग/कार्रवाई के लिए सदस्य (का. व प्र.)/अध्यक्ष को एक समेकित **सूचना अधिकार वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करेंगे। कार्यपालक निदेशक (सी.ए. व सी.एस.) सू.अ. वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने के तौर-तरीकों और प्ररूप पर प्रकाश डालते हुए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

(ट) निगमित मुख्यालय में सू.अ. प्रकोष्ठ कार्यपालक निदेशक (सी.ए. व सी.एस.) के अधीन कार्य करना जारी रखेगा। सू.अ. पर नीतिगत मुद्दों और सू.अ. के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित मामले, जो किसी विशेष के.ज.सू.अ. से संबंधित नहीं हैं, केंद्रीय नोडल अधिकारी [का.नि. (सी.ए. व सी.एस.)] की जिम्मेदारी में आएंगे और ऐसे विषयों पर निर्णय/निपटान उनके द्वारा किया जाएगा।

(ठ) केंद्रीय नोडल अधिकारी सहित सभी नोडल अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि सभी स.स.अ./स.ज.सू.अ./ज.सू.अ./के.ज.सू.अ./अपीलीय प्राधिकारियों और उनके कार्यक्षेत्रों (जैसे, ज.सू.अ./के.ज.सू.अ.और संबंधित अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, कार्य का अधिकार क्षेत्र, कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर आदि) का विवरण समय-समय पर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में वेबसाइट पर अद्यतन और अपलोड हों। ये विवरण आम जनता के लाभ/मार्गदर्शन के लिए भा.वि.प्रा. के प्रत्येक कार्यालय के स्वागत काउंटर/प्रवेश बिंदु पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

(ड) निगमित मुख्यालय के संबंध में, यदि कोई आवेदन एक से अधिक मदों पर सूचना मांगता है, जिससे दो या अधिक के.ज.सू.अ. संबंधित हैं, तो मांगी गई सूचना की पहली मद/मुद्दा से संबंधित के.ज.सू.अ.आवेदन की पावती देगा और उक्त आवेदन पर कार्रवाई करेगा तथा आवेदन की एक प्रति शेष मुद्दों से संबंधित अन्य के.ज.सू.अ.को भेजेगा, ताकि आवेदक को

उस मुद्दे के संबंध में उपयुक्त उत्तर भेजा जा सके, जिससे वह संबंधित है। इसके अलावा, आवेदक को उस मुद्दे के संबंध में सीधे संबंधित के.ज.सू.अ.के साथ मामले को आगे बढ़ाने की सलाह दी जाएगी।

(ढ) प्रत्येक के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. /अपीलीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त अनुरोधों/अपीलों से संबंधित सभी अभिलेखों का अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया जाए और संबंधित अभिलेखों का उचित रखरखाव किया जाए। पूर्व में मामलों के निपटान में देरी और अस्वीकार्य कारणों से सूचना न देने को के.सू.आ. ने गंभीरता से लिया है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. पर जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान उन्हें अपने वेतन से करना पड़ा है। इसलिए, समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी देरी/प्रस्तुत करने योग्य सूचना न देने की जिम्मेदारी संबंधित के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. या सूचना के अभिरक्षक, जैसा भी मामला हो, की होगी।

(ण) किसी भी स्पष्टीकरण या संदेह के लिए, संदर्भ मुद्दों को रेखांकित करते हुए संबंधित नोडल अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को पत्रादि भेजा जा सकता है ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामले की जांच की जा सके और सामान्य मार्गदर्शन के लिए उचित स्पष्टीकरण दिया जा सके।

2. इस विषय पर मौजूदा आदेश ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित माने जाएंगे। इस आदेश द्वारा नियुक्त सभी के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. /अपीलीय प्राधिकारियों और केंद्रीय/नोडल अधिकारियों की सूची **<u>संलग्नक</u>** में दी गई है।

3. यह आदेश दिनांक 01.06.2010 से प्रभावी होगा। अतः, इस मामले से संबंधित सभी संबंधितों को तदनुसार तत्काल और समयबद्ध अनुवर्ती उपाय करने के निर्देश दिये जाते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश में उल्लिखित संशोधित व्यवस्था से संबंधित जानकारी आम सूचना के लिए वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड की जाए। इस आशय की अनुपालना रिपोर्ट नोडल अधिकारियों (इस आदेश द्वारा नामित) द्वारा केंद्रीय नोडल अधिकारी को दिनांक 10.05.2010 तक अवश्य भेजी जाए। केंद्रीय नोडल अधिकारी दिनांक 20.05.2010 तक अधोहस्ताक्षरी को एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट (अपनी अनुपालन रिपोर्ट सहित) प्रस्तुत करेंगे।

4. यह अध्यक्ष, भा.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी है।

ह./-
(के. के. झा)
सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष/सदस्य (प्रचालन)/(वित्त)/(योजना)
2. प्रचालन कार्यालयों और निगमित मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक
3. निगमित मुख्यालय के सभी महाप्रबंधक।
4. महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) - इस आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सभी अधिकारी संघ, भा.वि.प्रा. इंजीनियर्स गिल्ड/ए.सी.ओ.ए.(आई.)/आई.ए.ए.आई.ओ.ए./ए.टी.सी. गिल्ड(आई.)/ए.ए.ओ.ए.(आई.)
6. महासचिव, ए.ए.ई.यू.
7. कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)

संलग्नक

भा.वि.प्रा. में सूचना का अधिकार अधिनियम पदाधिकारियों की सूची

क्रम सं.	कार्यालय	के.ज.सू.अ./ज.सू.अ.	अपीलीय प्राधिकारी	केंद्रीय नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी
1.	निगमित मुख्यालय	सभी महाप्रबंधक	सभी संबंधित कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक (सी.ए. व सी.एस.)
2.	एफ.आई.यू./आर.सी.डी.यू.	महाप्रबंधक (इसके न होने पर संयुक्त महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक)	कार्यपालक निदेशक, एफ.आई.यू./आर.सी.डी.यू.	क्षे.का.नि., उ.क्षे.
3.	सी.आर.एस.डी.	-तदेव-	कार्यपालक निदेशक, सी.एन.एस.-ओ.एम.	-तदेव-
4.	ई व एम कर्मशाला	-तदेव-	कार्यपालक निदेशक, प्रचालन विभाग	-तदेव-
5.	एफ.आई.यू.	-तदेव-	कार्यपालक निदेशक, एफ.आई.यू.	-तदेव-
6.	नियमार	-तदेव-	कार्यपालक निदेशक, नियमार	-तदेव-
7.	सी.ए.टी.सी., इलाहाबाद	-तदेव-	प्रधानाचार्य	-तदेव-
8.	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक – उ.क्षे., द.क्षे., प.क्षे., पू.क्षे., उ.पू.क्षे.	-तदेव-	संबंधित क्षे.का.नि.	संबंधित क्षे.का.नि.
9.	निदेशक, विमानपत्तन, कोलकाता	-तदेव-	निदेशक, विमानपत्तन, कोलकाता	निदेशक, विमानपत्तन, कोलकाता
10.	निदेशक, विमानपत्तन, चेन्नई	-तदेव-	निदेशक, विमानपत्तन, चेन्नई	निदेशक, विमानपत्तन, चेन्नई
11.	अन्य सभी हवाई अड्डे	निदेशक, विमानपत्तन	संबंधित क्षे.का.नि.	संबंधित क्षे.का.नि.

टिप्पणी:

1. के.ज.सू.अ./ज.सू.अ. द्वारा निपटाए जा रहे विषयों को उपर्युक्त सारणीबद्ध विवरण के साथ भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

2. संबंधित कार्यालय/क्षेत्र/हवाई अड्डे के सभी अन्य मौजूदा स.सू.अ./ज.सू.अ./ए.ज.सू.अ. का विवरण और उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों को भी संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

3. निगमित मुख्यालय में, सू.अ. आवेदनों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को के.ज.सू.अ. के रूप में जाना जाएगा। अन्य सभी कार्यालयों में, उन्हें ज.सू.अ. के रूप में जाना जाएगा।

4. का.नि. (सी.ए. व सी.एस.) केंद्रीय नोडल अधिकारी होंगे, जिन्हें सभी नोडल अधिकारी अर्थात क्षे.का.नि. - उ.क्षे.,द.क्षे.,प.क्षे.,पू.क्षे.,उ.प.क्षे. और कोलकाता तथा चेन्नई के निदेशक, विमानपत्तन, परिपत्र में परिभाषित सू.अ. गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट भेजेंगे। उक्त रिपोर्ट के तौर-तरीके और प्ररूप का.नि. (सी.ए. व सी.एस.) द्वारा परिपत्रित किए जाएंगे।

सं.:भा.वि.प्रा./सी.एन.ओ./सू.अ./2020/442

दिनांक : 09 सितंबर, 2020

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी क्षेत्र
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
सी.ए.टी.सी.
प्रयागराज (उ.प्र.)

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक (एफ़.आई.यू./आर.सी.डी.यू.)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

महाप्रबंधक (सी.आर.एस.डी.)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

महाप्रबंधक
ई व एम कर्मशाला
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन) परिपत्र संख्या ए.60011/23/2005(कार्मिक एवं प्रशासन)/1446(सू.अ.) दिनांक 23 अप्रैल, 2010 का पत्र देखें।

उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब से, निगमित मुख्यालय में केंद्रीय नोडल अधिकारी (के.नो.अ.), सी.आर.एस.डी., आर.सी.डी.यू., एफ.आई.यू., ई व एम कर्मशाला, भारतीय विमानन अकादमी और सी.ए.टी.सी., प्रयागराज के संबंध में नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

केंद्रीय नोडल अधिकारी, निगमित मुख्यालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के समन्वय कार्य के साथ-साथ भा.वि.प्रा. के अन्य नोडल अधिकारियों से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक और अपीलीय प्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्र/विभाग से संबंधित सू.अ. पर समेकित तिमाही विवरणी सीधे आर.टी.आई प्रकोष्ठ, निगमित मुख्यालय को भेजें।

ह./-

(अनुज अग्रवाल)
सदस्य (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि: केंद्रीय नोडल अधिकारी (के.नो.अ.), सू.अ., भा.वि.प्रा., निगमित मुख्यालय